

Shri Ranga: That is the return they make for our courtesy.

Shri Hem Barua (Gauhati): In view of the fact that by our inept vaccination we allowed them the breathing time to fabricate counter charges on similar grounds and of persons of similar offices that are involved and at the same time Pakistan is guilty of breach of international conduct because Pakistan let out the news over the Karachi radio before informing our Government, may I know whether Government is prepared to tell Pakistan that this is only a pre-fabricated charge against our open charge based on facts against certain Pakistani officials?

Shri Jawaharlal Nehru: As I said just now, it does appear to be a charge thought of subsequently because of sequence of events. We can tell them that. It is odd to point these dates. But when they say they have evidence, we can ask for evidence.

Mr. Speaker: Shri Shastri.

Shri Hem Barua: That means you are not prepared to tell them that it is a pre-fabricated charge.

Mr. Speaker: Shri Shastri.

Shri Tyagi: How many days after did they bring out the charge?

Shri S. M. Banerjee: Yesterday I gave the same calling attention notice.

Mr. Speaker: I have not got that with me. If he has given the same, I will allow him an opportunity. He might put a question now.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं जानना चाहता हूँ कि यह जो पाकिस्तान ने विधड़ा करने के लिये कहा है उन हमारे अफसरों को जो वहाँ पर हैं उसके बारे में कोई जवाब यहाँ से जा चुका है या नहीं, या हम वाकई चुपके से उनको विधड़ा कर लेंगे और जो जबर्दस्त

चाँज लगाये गये हैं उनको हम नान लेंगे ? अगर नहीं मानते हैं तो क्या इन्हें रहने देंगे और उनसे लड़ेंगे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह तार तो अभी आज सुबह आया है । जहाँ तक मुझे इल्म है उसका कोई जवाब नहीं दिया गया है । लेकिन वह चाँज सही हों या गलत, दस्तूर यह है कि अगर कोई गवर्नमेंट कहती है कि विधड़ा करो तो विधड़ा करना होता है, चाँज से कोई ताल्लुक नहीं होता है । उसका बाद में जो नतीजा होगा, देखा जाएगा । अगर व कहते हैं कि दो या चार रोज में विधड़ा करो तो उस शख्स को आना पड़ता है ।

Mr. Speaker: Shri Shastri.

Shri Hem Barua: May I submit, Sir, the Prime Minister has replied only to one part of the question?

Mr. Speaker: Order, order. He has got the answer.

12.08 hrs.

RE: ALLEGED INACCURACY IN STATEMENT

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद) मैं आपके दरवाजे शनिवार से खड़ा हुआ हूँ । प्रधान मन्त्री ने पंजाब के मुख्य मन्त्री के सिलसिले में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बड़ी गलत बयानी की है ।

अध्यक्ष महोदय : अब इस वक्त तो उमे नहीं ले रहे हैं ।

डा० राम मनोहर लोहिया : उसकी सफाई होनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से सफाई नहीं हो सकती । वह तो कानून के मुताबिक ही हो सकती है । आपने मुझे चिट्ठी डाइरेक्शन ११५ में लिखी है । उसका जवाब आज आपको

[अध्यक्ष महोदय]

दे दिया गया है। आप तक पहुंच गया होगा। आप इस तरह से इसे नहीं उठा सकते। अगर आप समझते हैं कि जो कुछ उन्होंने कहा वह आपके रूयल में दुरुस्त नहीं है तो आप डिबेट में किसी वक्त उसको ले सकते हैं और उसकी तस्दीद कर सकते हैं। अपनी तरफ से जो ठीक समझते हों वह क सकते हैं। उस के अलावा डिबेट नहीं हो सकता।

डा० राम मनोहर लोहिया : किसी भी विवाद में ला सकता हूँ न ?

अध्यक्ष महोदय : आप क्या पूछते हैं, मैं नहीं समझा।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं किसी भी विवाद में इसको ला सकूंगा न ?

अध्यक्ष महोदय : यह सलाह देना मेरा काम नहीं है, जब लाएंग तो देखूंगा कि इन आर्डर है या नहीं।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Sir, I rise to a point of order. We have been informed that this question cannot be raised under Direction 115. The observation which you have made just now clearly reveals that no Member has any remedy if an incorrect statement is made. Supposing a Minister or the Prime Minister makes any statement which according to hon. Members is not consistent with a particular subject which was being discussed, then the Members cannot correct it. Here, something was being discussed on the basis of the Supreme Court's judgment. The hon. Prime Minister without reading the judgment made certain observations with regard to the Chief Minister of Punjab, saying that he was not concerned or something of that sort. My point of order is this. If the Prime Minister does not correct it, are we not entitled to say something on the floor of the House that he should make a statement correcting it?

Mr. Speaker: No. That is what I have stated, namely that under Direction 115 it cannot be done. There would be many occasions and many forms in which it can be opened. And hon. Members have the remedy. They can certainly take recourse to that.

Shri S. M. Banerjee: In his own interest, he should correct it.

Mr. Speaker: If he does not, then the Member also has the remedy. Why should he not proceed according to that?

Now, Shri Prakash Vir Shastri.

12.12 hrs.

RE: ALLEGED BREACH OF PRIVILEGE

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के विशेषाधिकार के भंग का एक प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूँ।

पीछे बम्बई में सिरोमः के तीन प्रमुख अभिनेताओं, श्री महबूब खां, श्री विमल राय और श्री दिलीप कुमार के घरों पर देश की सुरक्षा की दृष्टि से कुछ आपत्तिजनक मामलों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय गुप्तचर विभाग ने छापा मारा और उसकी जानकारी ली। उस सम्बन्ध में कुछ लोगों को यह राय थी (त्रिशे षकर जां बात मैं उपस्थित करना चा ता हूँ उसके बारे में) कि केन्द्रीय गुप्तचर विभाग की पुलिस ने उनके पास कोई चीज न हाने हुए भी उनके घरों पर छापा डाला और इससे उनकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंची। इस सम्बन्ध में एक अल्प सूचना प्रश्न आपको दिया गया। इस सदन की अब तक की यह परम्परा रही है कि, चाहे वह अल्प सूचना का प्रश्न हो या सामान्य सूचना का कोई प्रश्न हो, जब तक वह सदन में उत्तर के लिए न आए तब तक वह समाचार पत्रों को सदस्यों की ओर से या आपके विभाग की ओर